कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.–1, बालाघाट

फोन नं.–07632 240334 ई मेल–gm_bgtpiu1@rediffmail.com

बालाघाट दिनांक 25/01/2024

पत्र क्र. 204 /तक/मप्रग्रासप्रा/2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरूम तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रंमांक FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ :–
1. आपका पत्र पृ. क्रं. 133 दिनांक 04.01.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्रं. एफ–5/1256/2023 /10–11/01 भोपाल दिनांक 01.01.2024
3. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र./ 6-MPR018/2023-बीएचओ **दिनांक 27.12.**2023

..............00..................

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दियें गये निदेशों के तहत 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	The population at both the end of the proposed road is already been connected by the existing road of "lanji-kheragad road" so the purpose of this road is not clear. Further, it is seen in the KML that there is no population being benefited along the proposed alignment. So the un-necessary break up of the forest land and felling of 244 trees can be avoided.The comment of the concerned DFO shall be submitted in this regard with detailed justification for road because the justification provided is not satisfactory.	बोदालखा से धीरी मुरूम मार्ग का निर्माण भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई. योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। मार्ग का निर्माण होने पर पुलिस प्रशासन को सर्चिंग के लिए सुविधा एवं जोखिम से मुक्त होगी। यह मार्ग स्टेट कनेक्टिविटी से भी संबंधित है जो कि छत्तीसगढ़ सीमा तक जा रहा है जिससे छत्तीगढ़ तक सम्पर्कता स्थापित होगी। नक्सली गतिविधियों में राज्यों के आपसी समन्वय स्थापित कर अंकुश लगाया जावेगा। मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रो में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोपज सामग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। सड़क निर्माण में आवेदक विभाग हर संभव यह प्रयास करेगा कि निर्माण कार्य के दौरान कम से कम पेड़ो में क्षति पहुँचाया जाय।
2.	The DFO may also submit the status of road as per the approved working plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रुप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में भी दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
3.	The total area of various proposals in this region is more than 40-00 ha in consolidation in the sae division and by the same agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त बालाघाट के पत्र क्रमांक 29/तक बालाघाट दिनांक 08.01.2024 में उक्त संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**
4.	The comment of CWLW shall be submitted.	–

5.	The ara proposed for CA alos includes area provided for other proposals that can created confusion in near future when monitoring of the area will be planned. Therefore it is suggested to have separate proposal wise CA scheme and KML file with propoer demarcation in such cases shall be submitted/ uploaded.	कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. / 0033 / अ–59 वर्ष 22–23 में पारित आदेश दिनांक 12.12. 2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड का जंगल) ग्राम–घुम्मुर, प.ह.न. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा नं. 25 / 1क / 1 के कुल रकबा 96.837 हे0 में से 82. 00 हे0 (04 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हे0 (2) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 16.650 हे0 (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हे0 (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हे0) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारो प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारो प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक–पृथक प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
6.	Status of clearance of Wildlife needs to be submitted.	–

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृ. क्र. 205 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2024 बालाघाट, दिनांक 25 / 01 / 2024

प्रतिलिपि:–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में चाही गई वांछित बिन्दुओ की जानकारी पत्रक एवं परिशिष्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–240268

क्रमांक/तक. कक्ष/29 बालाघाट, दिनांक : 08/01/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू–प्रबंध)
म.प्र., भोपाल

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155629/2022)

संदर्भ :– आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ–5/1256/2023/10–11/02 दिनांक 01.01.2024.

–0–

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र क्र. 6–एमपीआर 018/2023–बीएचओ दिनांक 27.12.2023 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक–03 की जानकारी निम्नानुसार संप्रेषित है :–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
3	The total area of various proposals in this region is more than 40.00 ha in consolidation in the same division and by the same Agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	विषयांकित प्रकरण में कुल 16.65 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है, संशोधित वन (संरक्षण) नियम, 2022 के नियम 9 के उपनियम 4(छ) पृष्ठ क्र. 07 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार जिन प्रकरणों में 40.00 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि सम्मिलित है, उनका क्षेत्रीय निरीक्षण संबंधित वनसंरक्षक द्वारा किया जाना है। चूंकि उक्त प्रकरण में **16.65 हेक्टेयर वनभूमि** अर्थात 40 हेक्टेयर से कम वनभूमि प्रभावित होने के कारण CF/CCF के स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(ए.पी.एस. सेंगर)
भा.व.से.
वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक/तक.कक्ष/30 बालाघाट, दिनांक : 08/01/2024

प्रतिलिपि :–

1. वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. आवेदक विभाग/संस्थानः–महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक–1 बालाघाट म.प्र. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

E-mail Send to Apccf.lm 08/01/24